फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य : धामी

देहरादून, 25 जुलाई (जनसत्ता)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तराखंडी फीचर फिल्म 'पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन' की झलकी तथा पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। राज्य में फिल्मांकन के लिए क्षेत्रीय फिल्मों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

INVITATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OPPORTUNITY UNDER THE EXIT OFFER

DFM FOODS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L15311DL1993PLC052624
Registered Office: 149, 1st Floor, Kilokari, Ring Road, Ashram, New Delhi 110014,
Tel: +91-7290935048; Email: dfm@dfmfoods.com;
Website : https://www.dfmfoods.com/

Dear Residual Shareholder,

This invitation dated July 25, 2023 to Residual Shareholder of the Company ("**Exit Offer Advertisement**") is being issued by JM Financial Limited ("**Manager**" or "**Manager to the Offer**") for and on behalf of AI Global Investments (Cyprus) PCC Limited ("**Acquirer**") along with AI Darwin (Cayman) Limited **("PAC")**, in accordance with Regulation 27(1)(a) and all other applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("**Delisting Regulations**"). This Exit Offer Advertisement shall be read in continuation of and shall be read in conjunction with and all capitalized terms used in this public invitation shall have the same meaning as ascribed to it in the initial public announcement dated August 15, 2022 **("IPA")**, the detailed public announcement dated December 03, 2022 and published on December 05, 2022 ("**Detailed Public Announcement**") in (i) Financial Express (English, all editions); (ii) Jansatta (Hindi, all editions); (iii) Navshakti (Marathi, Mumbai edition) (collectively, the "**Newspapers**"), the letter of offer dated December 05, 2022 ("**Letter of Offer**"), the post offer public announcement cum public announcement for counter offer dated December 20, 2022 and published in the Newspapers on December 21, 2022 ("**Post offer PA cum PA for Counter Offer**"), the counter offer public announcement dated December 22, 2022 and published in the Newspapers on December 23, 2022 ("**Counter Offer PA**"), the counter offer letter of offer dated December 22, 2022 ("**Counter Offer Letter of Offer**"), the post offer public announcement dated January 11, 2023 and published on January 12, 2023 in the Newspapers ("**Post Offer PA**"), the Exit Offer Public Announcement dated March 16, 2023 and published on March 17, 2023 in the Newspapers ("**Exit Offer PA**") and the Exit Offer Letter of Offer dated April 03, 2023. ("**Exit LOF**").

BSE Limited ("**BSE**") vide its notice number 20230314-8 dated March 14, 2023 ("**BSE Final Delisting Approval**") has communicated that trading in the Equity Shares of the Company (Scrip Code: 519588) will be discontinued with effect from March 28, 2023 ("**BSE Date of Discontinuation of Trading**") and the Company scrip will be delisted from BSE with effect from April 5, 2023 ("**BSE Date of Delisting**"). National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") vide its circular reference number 0318/2023 dated March 14, 2023 ("**NSE Final Delisting Approval**"), has communicated that the security, DFM Foods Limited (Symbol- DFMFOODS) has been suspended from trading with effect from March 28, 2023 (i.e. with effect from closing hours of trading on March 27, 2023) ("**NSE Date of Discontinuation of Trading**") and further the admission to dealings in security, DFM Foods Limited shall be withdrawn (delisted) from NSE with effect from April 05, 2023 ("**NSE Date of Delisting**").

Delisting of the Equity Shares means that they cannot be traded on the Stock Exchanges and/or any other stock exchange and a liquid market for trading of the Equity Shares will no longer be available.

INVITATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OFFER

1. In terms of Regulation 27(1)(a) and all other applicable regulations of the Delisting Regulations, the Acquirer and PAC are inviting the Residual Shareholders to avail the exit opportunity during the one-year exit window after delisting of Equity Shares.
2. Exit LOF has been dispatched to all the Residual Shareholders of the Company by the Acquirer, whose names appear in the records of the registrar of the Company and to the owners of Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories (as the case may be) at the close of business hours as on March 28, 2023.
3. Residual Shareholders who have still not tendered their Equity Shares, can tender their Equity Shares to the Acquirer at the Exit Price of INR 467 during the Exit Window, i.e. from April 5, 2023, to April 4, 2024 (both days inclusive), subject to the terms and conditions provided in Exit LOF. The Residual Shareholders are required to ensure that their Exit Application Form, together with the necessary enclosures (as mentioned in Exit LOF), is received by the Registrar to the Delisting Offer on or before April 04, 2024.

   If the Residual Shareholders do not receive or misplace the Exit LOF, they may obtain a copy of the Exit LOF by writing to the Registrar to the Delisting Offer, Link Intime India Private Limited, at C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India, clearly marking the envelope "**DFM FOODS LIMITED DELISTING – EXIT OFFER**" or e-mailing at dfmfoods.delisting@linkintime.co.in. Further, a soft copy of the Exit LOF may be downloaded from the website of the Registrar to the Delisting Offer at https://web.linkintime.co.in/client-downloads.html or the website of the Company at https://www.dfmfoods.com/

PAYMENT OF CONSIDERATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS

Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer shall make payment on a monthly basis within 10 working days after the 21st calendar day of the relevant calendar month ("**Monthly Payment Cycle**"). Payment will be made only to those Residual Shareholders who have validly tendered their Equity Shares by following the instructions set out in the Exit LOF and receipt of demat Equity Shares in Special Depository Account (as defined in Exit LOF) or receipt of physical share certificates (along with duly filled transfer deeds and Exit Application Form) by Registrar to the Delisting Offer. Please note that the Acquirer reserves the right to make the payment earlier.

If the shareholders have any query with regard to the Exit Offer, they should consult the Manager to the Offer or the Registrar to the Delisting Offer (*details appearing below*). All other terms and conditions of the Delisting Offer as set forth in the IPA, Detailed Public Announcement, Letter of Offer, Post Offer PA cum PA for Counter Offer, Counter Offer PA, Counter Offer Letter of Offer, the Post Offer PA, Exit Offer PA and the Exit LOF remain unchanged.

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER
JM FINANCIAL **JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, India **Telephone:** +91 (22) 6630 3030, +91 (22) 6630 3262 **Contact Person:** Ms. Prachee Dhuri **Email:** dfmfoods.delisting@jmfl.com **Website:** www.jmfl.com **SEBI Registration Number:** INM000010361	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India **Contact Person:** Mr. Sumeet Deshpande **Telephone:** +91 810 811 4949 **E-mail:** dfmfoods.delisting@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **SEBI Registration Number:** INR000004058

For and on behalf of:

AI Global Investments (Cyprus) PCC Limited (Acquirer)	AI Darwin (Cayman) Limited (PAC)
Sd/-	Sd/-

Date: July 25, 2023
Place: Mumbai

Adfactors 173

RattanIndia Power Limited

Extract from the Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30 June 2023

(Rs. Crore)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	847.27	900.58	842.79	3,231.16
2	Net loss for the period (before tax and exceptional items)	(535.07)	(462.82)	(389.30)	(1,849.48)
3	Net loss for the period before tax (after exceptional items)	(535.07)	(462.82)	(389.30)	(1,849.48)
4	Net loss for the period after tax (after exceptional items)	(549.36)	(483.19)	(389.30)	(1,869.85)
5	Total comprehensive loss for the period [Comprising loss for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(549.36)	(483.06)	(389.30)	(1,871.12)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10 per equity share)	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet				(9,903.03)
8	Earnings Per Share (EPS) (Face Value of Rs. 10 per equity share)				
	- Basic (Rs.)	(1.02)*	(0.90)*	(0.72)*	(3.48)
	- Diluted (Rs.)	(1.02)*	(0.90)*	(0.72)*	(3.48)
	*(EPS for the quarter are not annualised)				

Notes:

(a) **Additional information on standalone financial results is as follows:**

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations	847.27	900.58	842.79	3,231.16
2	Net profit for the period before tax	56.10	130.73	113.95	353.02
3	Net profit for the period after tax	41.81	110.36	113.95	332.65
4	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	41.81	110.38	113.95	331.44

(b) The above is an extract of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the company's website www.rattanindiapower.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

c) The Auditors in their Auditor's Review Report on Consolidated Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
Sinnar Thermal Power Limited (STPL), is yet to commence operations and has incurred net loss amounting to Rs. 592.65 crores during the quarter ended 30 June 2023. As further explained in the aforementioned note, the management has assessed that the STPL's status as going concern for the purpose of accounting is appropriate basis the steps being undertaken. Further, STPL's accumulated losses as at 30 June 2023 amount to Rs. 12,396.53 crores and its current liabilities exceed its current assets by Rs. 16,977.26 crores.
Also, STPL has defaulted in repayment of borrowings from banks and financial institutions, including interest, aggregating to Rs. 12,476.84 crores upto 30 June 2023. As described in the said note, the Company's other current financial liabilities as at 30 June 2023 include balances amounting to Rs. 5,926.47 crores, in respect of which confirmations from the respective lenders have not been received while in case of certain lenders, the balance of borrowings and accrued interest confirmed as compared to balance as per books is higher by Rs. 347.97 crores and Rs. 318.36 crores respectively. In management's view, the subsidiary company has accrued for all the dues payable to the lenders in accordance with the terms of the respective loan agreements/ sanction letters and carrying value of assets is recoverable as on 30 June 2023.
The Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi ('NCLT') vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor against STPL and initiated Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ('NCLAT') vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/ discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and the outcome of ongoing discussions with the lenders for settlement of dues and to secure firm and unconditional commitment for providing working capital loans /bank guarantees required for executing the power purchase agreement ('PPA') required to commence operations and the non- receipt of balance confirmations from the lenders or sufficient and appropriate alternate audit evidence to support the management's assessment as mentioned above, we are unable to obtain sufficient appropriate evidence to comment on the appropriateness of going concern assessment of STPL by the management and/ or adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of assets including property, plant and equipment of STPL aggregating to Rs. 7,638.64 crores and the liabilities aggregating to Rs. 6,592.80 crores as at 30 June 2023, included in the Group's consolidated financial results and the consequential impact thereof on the accompanying consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2023.

(d) The Auditors in their Auditor's Review Report on Standalone Unaudited Quarterly Financial Results have brought out as below:
The Company has non-current investment of Rs. 1,211.82 crores (net of impairment provision of Rs. 1,814.39 crores) and inter-corporate deposit (classified under current assets) of Rs. 34.00 crores recoverable from Sinnar Thermal Power Limited (formerly RattanIndia Nasik Power Limited) ('STPL'). STPL has incurred losses since its inception and is yet to commence operations. As further explained in the aforementioned note, management has assessed that the STPL's status as going concern for the purpose of accounting is appropriate basis the steps being undertaken. Further, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi ('NCLT) vide order dated 19 September 2022, admitted an application for insolvency filed by an operational creditor against STPL and initiated Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ('IBC'). However, subsequently, in response to the appeal filed against the NCLT order, the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ('NCLAT') vide its order dated 26 September 2022 had directed the Interim Resolution Professional ('the IRP') to abstain from taking any steps and has allowed STPL to participate further with the Ministry of Power in continuation of the earlier meetings/ discussions for making the plant operational, as detailed in the aforesaid note.
In view of significant uncertainties associated with the outcome of CIRP proceedings and in the absence of adequate evidence to support the appropriateness of going concern assessment of STPL, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidences to comment on adjustments, if any, that may further be required to be made to the carrying value of the above mentioned non-current investment of Rs. 1,211.82 crores and inter-corporate deposit of Rs. 34.00 crores as at 30 June 2023 and the consequential impact thereof on the accompanying Statement for the quarter ended 30 June 2023.

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037
CIN: L40102DL2007PLC169082

Place : Mumbai
Date : 25 July 2023

For and on behalf of the Board of Directors
RattanIndia Power Limited

Brijesh Narendra Gupta
Managing Director

'कांडा ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुदकुशी के लिए उकसाने वाला कोई काम नहीं किया'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को मंगलवार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कांडा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं किया जिससे उनकी विमानन कंपनी में काम करने वाली शर्मा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुईं।

अदालत ने कहा कि कांडा वास्तव में शर्मा के प्रति आकर्षित थे, जो उसे उनकी कंपनियों में दी गई पदोन्नति और उसे दिए गए उपहारों से स्पष्ट होता है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने माना कि अभियोजन पक्ष इन आरोपों को साबित करने में असफल रहा कि आपराधिक साजिश के तहत ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई जिसके कारण शर्मा के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। न्यायाधीश ने 189 पन्नों के फैसले में कहा कि 'भले ही अभियोजन पक्ष के गवाह यह बयान देकर 'पर्दा डालने' की कोशिश कर रहे थे कि शर्मा ने तीन अगस्त, 2012 की रात मुंबई हवाई अड्डे पर बिताई थी, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुंबई में रुकी थीं, जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध थे।' न्यायाधीश ने कहा कि शर्मा की मौत से पहले उसके किसी तरह के शारीरिक संबंध होने की बात उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्ट होती है। न्यायाधीश ने कहा, 'इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चड्ढा और कांडा ने क्रमशः तीन और चार अगस्त, 2012 को टेलीफोन पर बातचीत में शर्मा की मां के समक्ष परिवार के शुभचिंतक होने या ईर्ष्यावश इस तथ्य का खुलासा किया जिसके कारण चार अगस्त, 2012 को मुंबई से लौटने पर शर्मा और उसकी मां के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद गीतिका शर्मा ने आत्महत्या कर ली।' न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि शर्मा ने 'सुसाइड नोट' में अफसोस जताया कि उसने आरोपियों पर भरोसा करके अपने जीवन की एक बड़ी गलती की है, यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके गर्भपात और तीन अगस्त, 2012 को मुंबई में रुकने के बारे में जानकारी साझा करके उसके विश्वास को तोड़ने के संदर्भ में हो सकता है।'

गीतिका के भाई ने पूछा, 1800 पृष्ठ के आरोपपत्र में कैसे नहीं मिला सबूत

नई दिल्ली, 25 जुलाई (ब्यूरो)।

विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली की एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद 11 साल से 'भावनात्मक कष्ट' का सामना कर रहा शर्मा का परिवार टूट गया है। गीतिका शर्मा के भाई अंकित शर्मा ने मंगलवार को यह बात कही। अंकित ने कहा, '66 साल के मेरे पिता फैसला आने के बाद से स्तब्ध हैं।'

उन्होंने कहा कि उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए साधन नहीं हैं और सरकार को आदेश के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए। अंकित ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। 'सुसाइड नोट' में गीतिका शर्मा ने कहा था कि वह कांडा और अरुणा चड्ढा के 'उत्पीड़न' से तंग आकर आत्महत्या कर रही हैं। प्रभावशाली नेता कांडा को उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद गृह राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका के आत्महत्या करने के छह महीने बाद उनकी मां ने भी खुदकुशी कर ली थी। अंकित ने फोन पर कहा, 'हमारे लिए 11 वर्ष भावनात्मक रूप से उथल-पुथल भरे रहे हैं।

यह 11 सालों की लंबी लड़ाई का अंजाम है। हम अब अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं। यह हमारे लिए जानलेवा स्थिति है।' विशेष न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। अंकित ने आरोप लगाया कि कांडा के 'प्रभाव' ने उसकी मदद की। उन्होंने कहा, 'ऐसा कैसे है कि 1800 पृष्ठ के आरोपपत्र में कोई सबूत नहीं था।' निजी कंपनी में काम करने वाले अंकित ने कहा, 'सभी आरोप हटा दिए गए – आइटी एक्ट, जालसाजी, आत्महत्या के लिए उकसाना। ऐसे संदेश भी थे जिनसे पता चलता है कि कांडा ने मेरी बहन को परेशान किया था। अगर सबूतों का अभाव था तो अदालत ने जांच के आदेश क्यों दिए?'

उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग समाप्त, अब 'सेतु' करेगा काम

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 25 जुलाई।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। अब सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर सेतु का निर्माण किया गया है, इसके लिए राज्यपाल ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। राज्य सरकार की कैबिनेट में योजना आयोग को समाप्त करके सेतु के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सेतु के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सेतु का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फार इंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) है। इसके गठन के लिए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में विचारक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे। सेतु नागरिकों के विकास कल्याण की सामाजिक और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एजंडा तैयार करेगा। जन आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा। विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। सभी समूहों का समावेश करेगा।

> **'सेतु' का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट फार इंपावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) है। इसके गठन के लिए सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में सेतु विचारक की तरह काम करेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष और तीन सलाहकार भी नियुक्त होंगे।**

राज्य के युवाओं के लिए अवसरों की समानता, पर्यावरण को बचाते हुए सतत विकास, सरकार के प्रत्यक्ष और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। सेतु के संगठनात्मक ढांचे के मुताबिक, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। यदि वह नियोजन मंत्री हैं, तो उपाध्यक्ष पद पर वह किसी मंत्री को नामित करेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्त बाजार से लिया जाएगा। यह नामी अर्थशास्त्री या सेवानिवृत्त नौकरशाह हो सकता है। सभी मंत्री इसके सदस्य होंगे। सेतु के तहत तीन केंद्र होंगे और प्रत्येक में दो-दो सलाहकार होंगे।

मेघालय : मुख्यमंत्री सचिवालय पर हमला पूर्व नियोजित, संगमा को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश : डीजीपी

शिलांग, 25 जुलाई (एजंसी)।

मेघालय के पुलिस प्रमुख एल.आर. बिश्नोई ने मंगलवार को बताया कि तुरा में मुख्यमंत्री कार्यालय पर 24 जुलाई को भीड़ द्वारा किया गया हमला पूर्व नियोजित था। हमले की साजिश मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना में कथित संलिप्तता के लिए विपक्षी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता रिचर्ड एम. मारक सहित कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के वीडियो फुटेज की मदद से अन्य 26 लोगों की पहचान की गई है।

खुफिया जानकारी से यह संकेत मिला है कि भीड़ ने पत्थर और बोतल को मुख्यमंत्री के सिर पर मारकर उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। तृणमूल नेता ने मुख्यमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए भीड़ को उकसाया था और हत्या आदि जैसे अतिवादी कदम उठाने के लिए भीड़ को भड़काने का काम किया था।

नियुक्तियां

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. L64202DL2000GOI107905

वॉक-इन इंटरव्यू (ऑफलाइन और ऑनलाइन) नियुक्तियां

No.RCIL/2023/P&A/01/ WR　　Dated 26.07.2023

रेलटेल भर्ती 2023 | इंजीनियर और अन्य पद | कुल रिक्तियां 07 |
वॉक-इन इंटरव्यू तिथि: 01.08.2023 & 02.08.2023 | www.railtelindia.com

रेलटेल भर्ती 2023: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंजीनियर/ एक्सपर्ट जैसे निम्नलिखित पद के लिए ओपन मार्केट से अनुबंध के आधार पर गतिशील पेशेवर की तलाश कर रहा है। हाल ही में इसने उपरोक्त पदों के लिए 26.07.2023 को नोटिस [रिक्ति सूचना संख्या RCIL/2023/P&A/01/WR] जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार, रेलटेल द्वारा 07 रिक्तियों को भरा जाना है और पोस्ट वार रिक्ति विवरण **www.railtelindia.com** पर दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।

वेस्टर्न रेलवे माइक्रोवेव कॉम्प्लेक्स, सेनापति बापट मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400013, फोन: 91 (22) 24923907 फैक्स: 91 (22) 24923913

लोकसभा चुनाव में राजग को मिलेगा जनता का पूर्ण समर्थन : अरुण कुमार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

विपक्षी गठबंधन पर बिहार के जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें कई विषयों पर वैचारिक मतभेद है। बिहार की राजनीति में एक दूसरे के विरोधी रहे नीतीश और लालू यादव अब एक साथ है। बिहार के मौजूदा हालात के बीच दोनों पार्टियों के एक साथ होने की बात प्रदेश की जनता समझ रही है। इसके खिलाफ राजग को लोकसभा चुनाव में बिहार में पूर्ण समर्थन मिलने का पूर्व सांसद ने दावा किया।

भारतीय सब लोग पार्टी के मुखिया अरुण कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां एकमत नहीं है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालय: 59, शकुन्तला बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

चल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत चल सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदार: **श्रीमती मंजू सिंह** **पत्नी श्री शिव कुमार** ई-12, पहला तल कवि नगर, महेन्द्र एन्क्लेव, गाज़ियाबाद-201002.	**चल सम्पत्ति:-** **बंधक सम्पत्ति का विवरण:-** 1. निर्माण- होंडा 2. मॉडल- डब्ल्यूआरवी 3. उप प्रकार- 1.2 एस एमटी पेट्रोल 4. CC/KW-1199 5. विनिर्माण- 2017 6. चेसिस - 4008295 7. इंजन नंबर - 3011122 8. पंजीकरण - UP 14 DL 6004	29/06/2021 को एनपीए 29/06/2021 को बकाया **रू.10,07,005.05** 29/06/2021 से अतिरिक्त ब्याज के साथ इस सूचना की तारीख से 60 दिन (साठ दिन) के भीतर प्रासंगिक खर्चों, शुल्कों, एवं लागतों के साथ पूर्ण एवं अंतिम भुगतान तक लागू ब्याज दर पर

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 26.07.2023
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस शाखा, नई दिल्ली

'मणिपुर मामला भाजपा की उन्मादी राजनीति का नतीजा'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जुलाई।

मणिपुर में जारी हिंसा मामले में जद (एकी) ने भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे भाजपा की उन्मादी राजनीति का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के इस रवैए से परेशान होकर मणिपुर भाजपा के कई नेता भी अब इसे स्वीकारने की हिम्मत दिखाने लगे हैं।

मणिपुर के भाजपा विधायक पाओलीनलाल हाओकिप ने साफ कहा है कि मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है। मिलीभगत के कारण ही जानबूझकर हिंसा को नहीं रोका जा रहा है। राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा नेता ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर वहां हिंसा फैलाने वाले मैतेई लीपुन और अरामबाई तेंगगोल जैसे कट्टरपंथी समूहों को अपना मौन संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं।